संख्याः 97 /XVIII(II)/2013–01(01)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

विषयः–सरस्वती शिशु मन्दिर धपोलासेरा (काण्डा), बागेश्वर को ग्राम धपौलासेरा, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर में विद्यालय भवन के निर्माण हेतु 0.044 है0 भूमि दान मे प्राप्त किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–291/स्टॉम्प–5–भूक्रय/2011 दिनांक 26.11.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सरस्वती शिशु मन्दिर धपोलासेरा (काण्डा) बागेश्वर को ग्राम धपौलासेरा, तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर में विद्यालय भवन के निर्माण हेतु 0.044 है0 भूमि दान मे प्राप्त किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 154(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति एवं आपके उपरोक्त पत्र द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– समिति धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि प्राप्त करने के लिये अर्ह होगा।

2– समिति द्वारा दान में प्राप्त की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (विद्यालय भवन निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये

.....2

उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ प्राप्त किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगें।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि अन्तरण से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– इस सम्बन्ध में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा–123 के अन्तर्गत अन्तरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित दाननामा रजिस्ट्रीकृत करा लिया जायेगा।

7– संस्था द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग मात्र निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर उक्त भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

8– किसी भी दशा में समिति को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि दान के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9– भूमि का संक्रमण अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में संक्रमण किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

.....3

11– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

12– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश के अनुपालन स्थिति से भी शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0– /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4– व्यवस्थापक सरस्वती शिशु मन्दिर, धपौलासेरा, बागेश्वर।
5– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।